2010:CGHC:6532

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकलपीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

.....

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4157/2009

याचिकाकर्ता: सुख राम धुर्वा

बनाम

उत्तरवादीगण: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द्वारा मुख्य सुरक्षा आयुक्त, बिलासपुर और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की उद्घोषणा के लिए

हस्ताक्षरकर्ता/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2010:CGHC:8362

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकलपीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

.....

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4157/2009

याचिकाकर्ता: सुख राम धुर्वा

बनाम

उत्तरवादीगण: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द्वारा मुख्य सुरक्षा आयुक्त,

बिलासपुर और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

उपस्थिति:

श्री एफ. एस. खरे, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

सुश्री नौशिना आफरीन अली, उत्तरवादीगण के लिए अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 20 जुलाई, 2010 को उद्घोषित)

(1) इस याचिका द्वारा, दिनांक 14-09-1992 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) की सत्यता, वैधानिकता औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसके द्वारा मृतक याचिकाकर्ता सुख राम धुर्वा की

सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 14-07-2009 (अनुलग्नक पी-1) और उसी तिथि के एक अन्य आदेश (अनुलग्नक पी-2) को चुनौती दी है। दिनांक 14-07-2009 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश द्वारा, दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि माना गया है और दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 तक की अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में नियमित किया गया है। उस तिथि के अनुलग्नक पी-2 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से 1,54,353 रुपये की राशि वसूलने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस याचिका में शामिल विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को रेलवे सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 28-12-2005 के आदेश (अनुलग्नक आर-5) द्वारा उप निरीक्षक के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई थी। बाद में, याचिकाकर्ता वर्ष 2006 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित चयन में चिकित्सा आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका। याचिकाकर्ता को चिकित्सा श्रेणी बी-1 और बी-2 से अलग कर दिया गया और दिनांक 24-08-2007 के आदेश (अनुलग्नक आर-10) के तहत उसे चश्मे के साथ चिकित्सा श्रेणी सी-1 और उससे नीचे के पदों पर फिट घोषित किया गया। इस बीच, दिनांक 27-04-2006 (अनुलग्नक आर-6) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को वापस कर दिया गया और उसके बाद एक और आदेश पारित किया गया। दिनांक 01-05-2006 (अनुलग्नक आर-7) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को फिर से तदर्थ पदोन्नति दी गई, और उसके बाद समय-समय पर ऐसी तदर्थ व्यवस्था की गई। अंत में, उसे सहायक उप निरीक्षक/आरईएफ के रूप में उसके मूल ग्रेड में वापस कर दिया गया। दिनांक 19-09-2007

(अनुलग्नक आर-9) के आदेश द्वारा। याचिकाकर्ता ने अपने विवर्गीकरण के खिलाफ अपना विवाद उठाया। याचिकाकर्ता को अंततः दिनांक 30-04-2009 से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपने विवर्गीकरण से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विभागीय उपायों को प्राथमिकता दी। चूँकि उनकी अपील पर कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने रिट याचिका संख्या 7134/2008 दायर की, जिसमें उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता की विभागीय अपील का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि चूँकि इस न्यायालय के आदेशानुसार अपील पर निर्णय नहीं हुआ, इसलिए बाद में एक अवमानना याचिका दायर की गई। जब याचिकाकर्ता को विवर्गीकरण के विरुद्ध अपने दावे और उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के दावे पर कोई अनुतोष नहीं मिली, तो याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या 4248/2009 के रूप में पंजीकृत एक और रिट याचिका दायर की गई, जहाँ याचिकाकर्ता ने, जैसा कि इस मामले में उनके द्वारा कहा गया है, विवर्गीकरण की कार्रवाई और उप निरीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति न करने को चुनौती दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 14-07-2009 के दो आदेशों (अनुलग्नक पी-1) और अनुलग्नक पी-2 का इस आधार पर विरोध किया कि बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए, उत्तरवादीगण ने दिनांक 22-01-2006 से 29-01-2009 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि और दिनांक 30-01-2009 से 30-04-2009 तक की अवधि को अवैतनिक अवकाश माना है और आगे याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति उपदान से 1,54,353/- रुपये की भारी राशि की वसूली का आदेश पारित किया है। जहां तक दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक की अवधि का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने पूरे समय अपने कर्तव्यों का पालन किया और वह कभी अनुपस्थित नहीं रहे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क

किया कि हालांकि याचिकाकर्ता कार्यालय में उपस्थित था, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जबकि याचिकाकर्ता की इसमें कोई गलती नहीं थी। चूँकि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अनुपस्थित नहीं रहा, इसलिए उसे आक्षेपित अवधि के लिए विधिवत वेतन का भुगतान किया गया था, लेकिन अब आक्षेपित आदेश द्वारा, दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि माना गया है। इसके बाद, उसी तिथि के एक अन्य आक्षेपित आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति उपदान से 1,54,353 रुपये की राशि वसूल करने का आदेश दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अवकाश खाते के अनुसार याचिकाकर्ता का अवकाश शेष 861 दिन है, इसलिए उत्तरवादीगण द्वारा आक्षेपित पूरी अवधि को अनुपस्थिति की अवधि मानना उचित नहीं था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में ***साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 1995 अनुपूरक (1) एससीसी 18*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उप निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, यद्यपि उसे दिनांक 19-09-2007 के आदेश (अनुलग्नक आर-9) द्वारा अंतिम रूप से वापस किए जाने तक तदर्थ पदोन्नति पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेखों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित अवधि के दौरान आरपीएफ, एस.ई.सी.आर./आईवीजी सेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय में कभी भी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। याचिकाकर्ता को दिनांक 26-11-2008 को एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है और उसे कार्यालय में उपस्थित

होने के लिए कहा गया था, अन्यथा उसका मासिक वेतन तत्काल रोक दिया जाएगा। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 30-03-2009 को पत्र भी जारी किए गए थे, जिसके बाद दिनांक 08-04-2009 को एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था कि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस निर्देश का भी पालन नहीं किया। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उत्तरवादी सेवानिवृत्ति सेवा (पेंशन) नियम, 1993 (अनुलग्नक आर-20) के कण्डिका-15 अध्याय-II के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवानिवृत्ति पर देय राशि वसूलने के हकदार हैं। उत्तरवादीगण के अनुसार, अवकाश खाते के शेष में 300 दिन की एलएपी और 362 दिन की एलएचएपी है। चूँकि याचिकाकर्ता ड्यूटी से अनुपस्थित था, इसलिए दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि माना गया है और दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 तक की अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में नियमित माना गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक ड्यूटी से अनुपस्थित था और 30-01-2009 तक निजी चिकित्सा उपचार पर था। दिनांक 14-07-2009 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे पुलिस बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के स्टाफ अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए जारी किया गया है, जिन्हें आरपीएफ नियम, 1987 की अनुसूची II में निहित प्रावधानों के तहत अनुपस्थिति की अवधि तय करने का अधिकार है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता दिनांक 14-07-2009 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1 और अनुलग्नक पी-2) जारी करने से पहले केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि अभिलेख में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि याचिकाकर्ता आक्षेपित अवधि के दौरान कर्तव्य पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित नहीं हो रहा है और यह एक कोरी औपचारिकता होगी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि कोई अन्य दृष्टिकोण या निष्कर्ष संभव नहीं है, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोश का हकदार नहीं है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता ने यह अच्छी तरह जानते हुए भी वेतन प्राप्त किया कि वह इसका हकदार नहीं है। इसलिए, विधि के तहत वसूली की अनुमति है। ***सैयद अब्दु कादिर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2009 (3) एससीसी 475, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा बनाम इसराइल खान एवं अन्य, 2009(13) स्केल 484*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।

(5) जहाँ तक उत्तरवादीगण द्वारा वसूली के आदेश के विरुद्ध अपील के उपाय की उपलब्धता के संबंध में की गई आपत्ति का संबंध है, मैं इस आधार पर यह याचिका को खरिज करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि वसूली की कार्रवाई को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वसूली का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए दिया गया है। विभिन्न निर्णयों में यह सर्वविदित है कि असाधारण परिस्थितियों में, जिनमें से एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती है, न्यायालय पहले वैकल्पिक उपाय अपनाने पर जोर नहीं दे सकता। (कृपया ***हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य, 2003 (2) एस.सी.सी. 107*** में प्रकाशित को देखें)। अतः उपरोक्त आपत्तियाँ निराधार हैं और इसलिए अस्वीकार की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) जहाँ तक दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 की अवधि का संबंध है, उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14-07-2009 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में भुगतान किए गए वेतन की वसूली की मांग की गई है, अर्थात यह आदेश जिसमे इस आधर पर कार्यवाही कि गयी कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित था और

आक्षेपित अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों पर उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त आदेश दिनांक 14-07-2009 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा, आक्षेपित अवधि के संबंध में याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया वेतन वसूलने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि प्राधिकारी ने माना है कि याचिकाकर्ता आक्षेपित अवधि के दौरान वास्तव में अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था और उसे उस अवधि के लिए गलत तरीके से वेतन का भुगतान किया गया था। इस याचिका में आक्षेपित दो आदेश इस आधार पर पारित किए गए हैं कि याचिकाकर्ता आक्षेपित अवधि के दौरान अनुपस्थित था, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि वह वास्तव में उस अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित था और वह अनुपस्थित नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति स्वीकार्य स्थिति नहीं है। इसके विपरित, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने न केवल आक्षेपित अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि उसे उक्त अवधि के लिए वेतन भी दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) यह अनुपस्थिति की अवधि के नियमितीकरण का कोई साधारण मामला नहीं है जहाँ अनुपस्थिति आक्षेपित न हो। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को वास्तव में पूरी आक्षेपित अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में, उत्तरवादीसंख्या 2 ने, संभवतः कुछ अभिलेखों के आधार पर, यह राय बनाई कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में काम नहीं किया था और आक्षेपित अवधि के दौरान उसे गलत तरीके से वेतन का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वसूली का आदेश दिया गया।

(8) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एक बार जब याचिकाकर्ता को पूरी आक्षेपित अवधि के लिए वेतन का भुगतान कर दिया गया, तो यदि बाद में प्राधिकारी यह राय बनाने का प्रयास करता है कि याचिकाकर्ता ने आक्षेपित अवधि के दौरान काम नहीं किया, और इसलिए उसे दिया गया वेतन वसूल किया जाना चाहिए, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, याचिकाकर्ता को

प्रस्तावित वसूली के विरुद्ध कारण बताने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिसमें आक्षेपित अवधि के दौरान अनुपस्थिति का आरोप लगाया गया हो, जिसके लिए उसे वेतन का भुगतान किया गया था। यद्यपि एक सामान्य मामले में, जहाँ अनुपस्थिति स्वीकार की जाती है और आक्षेपित नहीं है, सक्षम प्राधिकारी के पास अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में उचित आदेश पारित करने और उन्हें वेतन सहित या वेतन रहित अवकाश के रूप में नियमित करने की पर्याप्त शक्ति होगी। ऐसे मामले में, कर्मचारी आमतौर पर अपनी अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के अवकाश का दावा करते हुए अवकाश आवेदन प्रस्तुत करता है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी लागू अवकाश नियमों के अनुसार निर्णय लेता है। ऐसे मामले में, सुनवाई का कोई पूर्व अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी के पाव अवकाश नियमों के अनुसार अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार है Iऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले जैसे मामले में, जहाँ याचिकाकर्ता यह दावा करता है कि वह अपने कर्तव्यों में उपस्थित था और उसे उसका वेतन भी दिया गया है, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे यह निर्णय लेना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा कि वह अनुपस्थित था और इसलिए, उसे पहले से दिए गए वेतन और उसके परिणामस्वरूप वसूली का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) उत्तरवादीगण ने रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम-15, अध्याय-II में निहित प्रावधानों का सहारा लेकर अपनी वसूली की कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया है, जिसका सुसंगत भाग अनुलग्नक आर-20 के रूप में अभिलेख में रखा गया है। नियम-15, उपनियम 3 (ख) और उपनियम 4 (i) (ख) और (ii) में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि वेतन और भत्तों के कारण अधिक भुगतान मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से सरकारी देय राशि के रूप में वसूल किया जा सकता है। ***केनरा बैंक एवं अन्य बनाम देबाशीष***

दास एवं अन्य, 2003 (4) एससीसी 557 में प्रकाशित किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया-

> "**19.** हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया है। प्राकृतिक न्याय के नियम हमेशा किसी विधि या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से निहित नहीं होते। ये किसी विधि के अंतर्गत किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निहित हो सकते हैं। किसी मामले में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम निहित होना चाहिए और उसका संदर्भ क्या होना चाहिए, यह काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, और उस विधि के ढाँचे पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत जाँच की जा रही है। न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच का पुराना अंतर अब मिट गया है। यहाँ तक कि एक प्रशासनिक आदेश, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हों, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। "नागरिक परिणाम" शब्द में केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक वंचना और गैर-आर्थिक क्षतियाँ भी शामिल हैं। इसके व्यापक दायरे में वह सब कुछ आता है जो एक नागरिक को उसके नागरिक जीवन में प्रभावित करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

(10) उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्तमान मामले में जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से तय है कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित था, एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, उत्तरवादीगण का यह तर्क दिनांक 26-11-2008 के पत्र (अनुलग्नक पी-4) पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। उक्त पत्र पर याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं इस बात का समर्थन किया गया है कि वह प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित हो रहा है। उत्तरवादीगण ने उपरोक्त पत्र की

एक प्रति अनुलग्नक आर-7 के साथ अभिलेख पर भी रखी है, जिसमें याचिकाकर्ता का ऐसा समर्थन शामिल है। इसका अर्थ यह होगा कि याचिकाकर्ता ने इस आरोप का खंडन तब किया था जब उसे पत्र दिया गया था। दूसरे, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को पूरी बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था, जिसे अब अनुपस्थिति की अवधि माना जाना चाहिए और जिसके संबंध में वसूली का आदेश दिया गया है। यह बिल्कुल असामान्य है। उत्तरवादीगण ने इस बारे में कोई भी तर्क नहीं दिया है कि यदि याचिकाकर्ता इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहा, तो उसे किस परिस्थिति में वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इसके विपरीत, यह याचिकाकर्ता के पक्ष में मजबूत अनुमान लगाता है कि उससे काम लिया गया था। उत्तरवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी दावा किया है कि दिनांक 22-01-2006 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि के लिए प्रभारी, आई.वी.जी. सेल द्वारा तैयार की गई मस्टर रोल से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित था। यह दावा किया गया है कि इसे रिट याचिका संख्या 4248/2009 में दर्ज किया गया है। हालाँकि, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को वास्तव में आक्षेपित पूरी बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था। दूसरे, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को पूरी बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था, जिसे अब अनुपस्थिति की अवधि माना जाना चाहिए और जिसके संबंध में वसूली का आदेश दिया गया है। यह बिल्कुल असामान्य है। उत्तरवादीगण ने इस बारे में कोई भी तर्क नहीं दिया है कि यदि याचिकाकर्ता इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहा, तो उसे किस परिस्थिति में वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इसके विपरीत, यह याचिकाकर्ता के पक्ष में मजबूत अनुमान लगाता है कि उससे काम लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) जहां तक दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता निजी चिकित्सक से उपचार लेने का दावा करता है और उसने स्वयं दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि के संबंध में चिकित्सा आधार

पर छुट्टी का दावा करते हुए एक निजी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त अवधि को दिनांक 14-07-2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा अवैतनिक अवकाश के रूप में नियमित किया गया है। याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रत्युत्तर के कण्डिका 6 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बीमार था। जवाबदावा, उत्तरवादीगण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 07-05-2009 को याचिकाकर्ता ने एक निजी चिकित्सक द्वारा जारी अपना बीमारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि जहां तक दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि का संबंध है, याचिकाकर्ता ने स्वयं एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें इस अवधि को चिकित्सा आधार पर अवकाश के रूप में नियमित करने की मांग की गई थी। ऐसी स्थिति में, यदि उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के अवकाश प्रदान करने के दावे पर निर्णय ले लिया है और उस अवधि के दौरान उसे अवैतनिक अवकाश के रूप में नियमित कर दिया है, तो याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती देने का हकदार नहीं है। जहाँ तक दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि का संबंध है, याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित कर दिया गया है। यदि इसके कारण, उस अवधि के दौरान भुगतान किया गया वेतन नहीं दिया गया है, तो इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुपस्थिति की अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में नियमित करने का आदेश पारित करने से पहले, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यद्यपि याचिकाकर्ता का यह निवेदन है कि उसके अवकाश खाते में अवकाश शेष था, और इसलिए, दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 की अवधि के संबंध में अवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश अवैध था, याचिकाकर्ता अनुपस्थिति की उक्त अवधि के लिए वेतन का दावा करने के याचिकाकर्ता के अधिकार के संबंध में प्रासंगिक अवकाश नियमों में निहित किसी भी प्रावधान को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं ला सका। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के अवकाश खाते में अवकाश जमा था, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त अनुपस्थिति अवधि को अवैतनिक

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवकाश के रूप में नियमित करने के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। जहाँ तक दिनांक 30-01-2009 से दिनांक 30-04-2009 तक की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में उत्तरवादीगण के निर्णयों का संबंध है, इस न्यायालय को इसमें कोई अवैधता नहीं दिखती।

(12) अवकाश देना नियोक्ता द्वारा एक विवेकाधीन प्रयोग है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। उत्तरवादीगण ने रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम-272 में निहित प्रावधानों और भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली, खंड-I (अनुलग्नक R-21) के नियम 538 में शामिल रेलवे बोर्ड के दिनांक 18-05-1987 के निर्देशों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि चूँकि याचिकाकर्ता बिलासपुर में पदस्थ और निवासरत था जहाँ रेलवे अस्पताल उपलब्ध है, सामान्यतः उसे अपने नियंत्रण अधिकारी से बीमारी का ज्ञापन लेना चाहिए था और रेलवे बोर्ड को जानकारी देना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपने निजी चिकित्सा प्रमाण पत्र के सत्यापन और नियमितीकरण के लिए कभी भी रेलवे बोर्ड को जानकारी नहीं दिया I इसके अलावा, उत्तरवादीगण की वापसी से यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 30-03-2009 (अनुलग्नक आर-22) के ज्ञापन द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद दिनांक 08-04-2009 को स्मरण पत्र भेजा गया था कि वह वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, ओ.पी.डी., केंद्रीय अस्पताल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के पास उपस्थित होते दिनांक 30-01-2009 के निजी चिकित्सा प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए mifLFkr gksrs लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इसका भी पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को रेलवे सुरक्षा बल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सलाह पर भी कार्रवाई नहीं की। उत्तरवादीगण का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने अपनी अनुपस्थिति/बीमारी (पीएमसी) अवधि को औसत वेतन पर अवकाश/अर्ध औसत वेतन अवकाश के रूप में नियमित करने के लिए कुछ भी उल्लेख किए बिना निजी चिकित्सा प्रमाण पत्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत किया, आक्षेपित नहीं है। ऐसी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों में, अनुपस्थिति की अवधि को बिना वेतन अवकाश के रूप में नियमित करने के विवेक का प्रयोग इतना अपमानजनक या मनमाना नहीं कहा जा सकता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

(13) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। जहाँ तक दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2008 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि मानने और उस अवधि के परिणामस्वरूप वसूली का संबंध है, इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण अवैध घोषित किया जाता है, और इसलिए दिनांक 22-01-2008 से दिनांक 29-01-2009 तक की अवधि को अनुपस्थिति की अवधि घोषित करने और वसूली का आदेश देने वाले दिनांक 14-07-2009 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-2) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। हालाँकि, उत्तरवादीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके विधि के अनुसार उचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरकर्ता/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Nitesh Jain